हम कैसा लोकपाल चाहते हैं?

आजकल देश भर में लोकपाल कानून की बहुत चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि एक शक्तिशाली लोकपाल कानून बना देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा। हालांकि इस मुद्दे पर लोग भिन्न–भिन्न राय रखते हैं, इसमें एक पक्ष केन्द्र सरकार का है, दूसरा पक्ष अन्ना हजारे की सिविल सोसायटी का है, जिसे जन लोकपाल कहा जाता है। हाल ही में सूचना के 'जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान' ने भी लोकपाल का मसौदा प्रस्तावित किया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले इस लोकपाल कानून के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता है।

सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर भ्रष्टाचार क्या है? क्या केवल पैसों का लेन देन ही भ्रष्टाचार है? क्या गरीबों पर अत्याचार करना भ्रष्टाचार नही है? गलत नीतियां बनाकर करोड़ों लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करना भी तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार और विभिन्न किस्म के अन्याय एक ही सिक्के के दो पहलु है और इसके अलावा लोगों के जायज काम एवं हक नही मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे लोग अत्यंत परेशान है। इसे ठीक करने के लिये एक अलग प्रकार की विकेन्द्रित 'समस्या निवारण व्यवस्था' चाहिये। अन्त में जो भी व्यवस्था बने उसमें जनता का सशक्त रहना जरूरी है। सच तो यह है कि आज भ्रष्टाचार विभिन्न स्वरुपों में मौजूद है, इसलिये उसे मिटाने का भी एक तंत्र कैसे सफल होगा, क्योंकि जब भ्रष्टाचार बहुआयामी है तो उसे मिटाने का तंत्र भी बहुआयामी होना चाहिए। खैर, हम सबसे पहले वर्तमान में जनता के मध्य आये तीन प्रमुख लोकपाल के मसौदों पर चर्चा करते हैं।

1. सरकारी लोकपाल
(एक लुंज–पुंज कमजोर लोकपाल)

केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने जिस मसौदे को मंजूरी दी है वह अत्यन्त कमजोर है, उससे प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है तथा लोक शिकायत निवारण की कोई प्रकिया उसमें नहीं है, शिकायत करने वाले की सुरक्षा की बात तो छोड़ ही दीजिये उल्टे उसकी शिकायत अगर झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता को 2 से 5 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है तथा 25000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर जिस लोकपाल के मसौदे को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने स्वीकृत किया है उससे भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा है।

2. अन्ना हजारे का 'जन लोकपाल'
(एक 'सुपर पॉवर' जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं, जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगा)

अन्ना टीम ने एक जनलोकपाल बनाया जिसकी कल्पना बेहद शक्तिशाली तंत्र के रुप में की गई है, देश की संसद, देश का प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट तक सब उसके दायरे में आयेंगे। पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक की शिकायत यह लोकपाल सुनेगा। इस लोकपाल को जांच के अलावा सरकारी अधिकारियों को डिसमिस करने का भी अधिकार होगा, जिससे यह सुनने वाला, जांच करने वाला और सजा सुनाने वाला सभी बन जाता है। जनलोकपाल में हर जिले में और तहसील में नियुक्त किया गया जांच अधिकारी लोकपाल होगा। क्या यह अधिकारी अन्य पुलिस वालों जैसे ताकत के बल पर खुद भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हो जाएगा ? यह लोकपाल बिना न्यायालय से वारंट लिये तलाशी ले सकता है और उसे लोगो के फोन टेप करने की शक्तियां भी दी गई है साथ ही लोकपाल को चाहे जितने कर्मचारी चाहे जितनी तनख्वाह पर नियुक्त करने का अधिकार भी प्रस्तावित है। अन्ना टीम का कहना है कि उसके द्वारा बनाया गया जनलोकपाल ही सर्वश्रेष्ठ है, भ्रष्टाचार उनके ही लोकपाल से मिटेगा, क्यों कि सरकारी लोकपाल तो धोखा है।

हमारी असहमति –जन लोकपाल के बारे में हमारी असहमति यह है कि इसको देश भर की शिकायतें सुनने का अधिकार दिये जाने से इस पर इतना अधिक बोझ बढ़ जायेगा कि यह शिकायतों के बोझ तले दबकर ही खत्म हो जायेगा। जनलोकपाल को बहुत ज्यादा ताकत देने से यह शक्ति की अधिकता के चलते भ्रष्ट और निरंकुश होकर तानाशाह बन सकता है, ऐसे में यह भस्मासुर साबित होगा तथा इससे हमारा संसदीय जनतंत्र और संविधान नष्ट हो सकता है। तो क्या हम दैत्य जैसा एक महाशक्तिशाली लोकपाल कानून बनायें, जो हमारे लोकतंत्र को ही खत्म कर दे ? शायद लोकतंत्र की कीमत पर हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहेंगे।

3. सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान (NCPRI) द्वारा प्रस्तावित

जनता का लोकपाल

(एक वैकल्पिक व व्यवहारिक लोकपाल जो शक्ति को विक्रेन्द्रित करेगा)

सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान (एन.सी.पी.आर.आई.) ने हाल ही में जो एक वैकल्पिक जनलोकपाल का मसौदा बनाया है वो काफी व्यवहारिक है। एन.सी.पी.आर.आई. का मानना है कि एक ही लोकपाल के बजाय पांच तरह की संस्थाएं निर्मित की जानी चाहिए जो समान स्तर पर रह कर काम करें तथा एक दूसरे प्रति जवाबदेह हो, ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा हो मगर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सुरक्षित रहें। इस वैकल्पिक लोकपाल के विभिन्न ढांचे इस प्रकार होंगे –

(1) राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल :–इस लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, कलक्टर, एस.पी., 'अ' ग्रेड के अफसर, कम्पनियां तथा गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) होंगे। यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को खत्म करेगा।

(2) केन्द्रीय सतर्कता लोकपाल :–वर्तमान में कार्यरत केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को स्वतंत्र किया जाये, उसके अधीन एक स्वतंत्र जांच एजेन्सी काम करे। इसके दायरे में द्वितीय श्रेणी के समस्त अधिकारियों को लाया जाये तथा जांच के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं हो।

(3) न्यायिक जवाबदेही लोकपाल :–उच्चतम न्यायालय के कई जाने माने ईमानदार पूर्व मुख्यन्यायाधीशों का मानना है कि संविधान के मूलभूत उसुलों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम रखा जाए। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये संसद में 'न्यायिक जवाबदेही एवं मानक अधिनियम' विचाराधीन है, इसमे बहुत कमियां है इन्हें दुरस्त कर शीघ्र पारित किया जाये। एक 'न्यायिक जवाबदेही आयोग' बने जो न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त कर जवाबदेह बना सके।

(4) शिकायत निवारण लोकपाल :–भ्रष्टाचार एवं शिकायतों में फर्क है इसलिए इनके निदान की प्रक्रिया एवं पद्धति भी अलग – अलग होगी। भ्रष्टाचार निवारण के ढ़ांचे ऊपर से नीचे की ओर केन्द्रित रुप से काम करेंगे, शिकायत जबकि निवारण का ढ़ाचा नीचे से ऊपर की ओर विकेन्द्रित रुप से काम करेगा। शिकायत सुनने, जांच करने तथा उनका निवारण करने के लिये ब्लॉक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत निवारण अधिकरण बनाये जायें ताकि आम लोगों को अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सके क्योंकि समस्याओं का निदान नहीं होने से भी भ्रष्टाचार फैलता है।

(5) शिकायताकर्ता संरक्षण लोकपाल :– शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा के लिये लोक सुरक्षा कानून (व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट) भी संसद में विचाराधीन है, इसको सशक्त किया जाये तथा शीघ्र लागू किया जाये ताकि लोग निर्भीक होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर सकें।

साथियों, चूंकि भ्रष्टाचार आज हर जगह फैल कर बहुआयामी हो गया है। इसलिये उसका निदान भी बहुआयामी और बहुस्तरीय होना चाहिए। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि शक्ति किसी एक संस्था में इकट्ठा न होकर कई संस्थाओं में बंट जाये ताकि निरंकुशता और तानाशाही का खतरा ही खत्म हो जाये तथा एक संस्था, दूसरी संस्था पर निगरानी भी रख सके। हम संसदीय जनतंत्र की प्रक्रियाओं की कदर करते है, हमारा मानना है कि कानून बनाना संसद का काम है। जन संगठन, राजनीतिक दल, मीडिया आदि अपने सकारात्मक सुझाव संसदीय स्थायी समिति को दे सकते हैं तथा अपने सुझावों को शामिल कराने हेतु शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष भी कर सकते हैं।

इस बारे में अधिक जानकारी के लिये **सम्पर्क** सूत्र –
Ncpri website: www.rightto information.info, email : ncpri.india@gmail.com
सम्पर्क पता – मजदूर किसान शक्ति संगठन, गांव – देवडूंगरी , पोस्ट – बरार , जिला – राजसमंद राज.
ई मेल – mkssrajasthan@gmail.com, rtiraj@gmail.com
मोबाईल – 9414003247, 9460325948, 9413457292